***अधिकार-शुल्क का भुगतान अगले वर्ष में होना (Payment of Royalties to be made in the Next Year)***

कभी-कभी अधिकार-शुल्क समझौते में यह प्रावधान किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष के अधिकार-शुल्क की धनराशि का भुगतान अगले वर्ष में किसी निर्धारित तिथि पर किया जायेगा। जैसे 31 दिसम्बर 2007 को देय अधिकार-शल्क का भुगतान 10 जनवरी, 2008 को होना अथवा 30 जून, 2008 को देय अधिकार-शुल्क का भुगतान 8 जलाई, 2008 को होना आदि। ऐसी दशा में अधिकार-शुल्क देय की प्रविष्टि तथा लघुकार्य अपलिखित करने की जर्नल प्रविष्टि 31 दिसम्बर 2007 या 30 जून, 2008 |

जैसी भी स्थिति हो, को ही होगी परन्तु अधिकार-शुल्क के भुगतान की जर्नल प्रविष्टि भुगतान करने की तिथि पर ही होगा।

**उदाहरण 1**. जे० के० माइनिंग कम्पनी ने । जनवरी, 2004 को कोयले की खान 2.50 रु० प्रति टन आधकार-शुल्क पर 25 वर्ष के पट्टे पर ली और उसका न्यूनतम किराया 2,500 रु० प्रति वर्ष था। लघुकार्य को पट्टे के प्रथम पांच वर्षों में अपलिखित करने का अधिकार हैं  प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को देय अधिकार-शल्क का भुगतान अगली 10 जनवरी को किया जाना है।

***पाँच वर्षों का उत्पादन निम्न प्रकार था :***

On 1st January, 2004 J. K. Mining Company took a Lease of Coalfield for a period of 20 years, on a Royalty of Rs. 2.50 per tonne of Coal raised with a Dead Rent of Rs. 2,500 p.a., and right to recoup Shortworkings during the first five years of the Lease. The Royalty due on 31st December, each year is to be paid on 10th January next.

The Output during the first five years was as follows: 2004

2004                                            600 Tonnes

2005                                            900 Tonnes

2006                                            1,100 Tonnes

2007                                           1,200 Tonnes

2008                                          1,500 Tonnes

जे० के० माइनिंग कम्पनी की पुस्तकों में पाँच वर्ष का अधिकार-शुल्क खाता, लघुकार्य खाता एवं भू-स्वामी का खाता बनाइये।

***Prepare ‘Royalties Account, Shortworkings Account and Landlord’s Account in the Books of J. K. Mining Company for five years.***